



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938

No. 773]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2016

का.आ. 1259(अ).— तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद, कच्चे तेल के संबंध में उत्पाद शुल्क की दर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार होगी।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2016 से लागू होगी।

[फा.सं.ओ-38011/3/2012/वित्त-II/ओएनजी-III]

यू.पी. सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2016

S.O. 1259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby specifies that the rate of duty of excise in respect of crude oil, an item specified in the Schedule to the said Act, shall be at the rate of 20 percent *ad-valorem*.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of March, 2016.

[F. No. O-38011/3/2012/Fin-II/ONG-III]

U. P. SINGH, Addl. Secy.

अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2016

का.आ. 1260(अ).—तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, ऐसे निरसन से पहले की गई या न की गई चीजों को छोड़कर 01 मार्च, 2016 से भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 19 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या सां.आ.868(अ) को निरस्त करती है।

[फा. सं.ओ-38011/3/2012/वित्त-II/ओएनजी-III]

यू.पी. सिंह, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2016

S.O. 1260(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O 868(E) dated the 19th April, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the 1st of March, 2016.

[F. No. O-38011/3/2012/Fin-II/ONG-III]

U. P. SINGH, Addl. Secy.